न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2/103/2018 दायर दिनांकः– 26/07/2018

जीसीएमएस नं0:– 2018/00242 निर्णय दिनांकः– 28/09/2025

बउनवान

1. मोहनलाल बंसल पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी खेरली तहसील कठूमर जिला अलवर

—————— सायल

बनाम

1. शांति पुत्री गणेशदास जाति बाबाजी निवासी समूँची तहसील कठूमर
2. कालूराम दत्तक पुत्र खिलाडी जाति बाबाजी निवासी सिन्दुकी तहसील महुआ जिला दौसा
3. रामपति पुत्री गणेशदास जाति बाबाजी निवासी समूँची तहसील कठूमर
4. उगन्ती पुत्री गणेशदास जाति बाबाजी निवासी समूँची तहसील कठूमर
5. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–श्री सुभाषचन्द शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता सायल

–::निर्णय::–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 461, 468 469, 470, 471 ग्राम समूँची तहसील कठूमर में स्थित है। सायल विवादित आराजी के 44/255 हिस्से का काविज कृषक खातेदार है। सायल ने वरूवे रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.11.2011 को गैरसायल सं0 1 को नकद जरे वय 330000 रूपया देकर विवादित आराजी का 44/255 हिस्सा खरीद कर

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०

मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। बरोज वयनामा से सायल अपनी खरीदशुदा आराजी पर काविज रहकर शामलात में काश्त करता चला आ रहा है। सायल विवादित आराजी के 44/255 हिस्से काविज कृषक खातेदार है लेकिन गैरसायलान सायल को खातेदार मानने से इन्कार कर रहे है इसलिए सायल 44/255 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का मुस्तहक है। सायल अपने हिस्से की आराजी की सार सम्हाल करने गया तो समस्त गैरसायलान ने एक राय होकर विवादित आराजी पर आ गए तथा सायल को धमकी दी कि अव हम तुम्हें विवादित आराजी पर शामलात में काश्त नहीं करने देगे। हम विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करके रहेगे। तुम्हारे नाम अभी इन्तकाल भी दर्ज नही हुआ है हम तुम्हारें हिस्से की आराजी को किसी लटठ बाज व्यक्ति को रहन बेय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1, 3 से 5 बाबजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व दिनांक 28.03.2025 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। गैरसायल सं0 2 को जवाब के लिये समय दिया गया लेकिन जवाब के लिये समुचित मौके दिये जाने के बाबजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 11.07.2024 को जवाब बन्द किया गया।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम समूॅची व वयनामा दिनांक 30.11.2011 की छाया पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

प्रथम दृष्टा केसः–हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का 44/255 हिस्सा दिनांक 30.11.2011 को वरूवे रजिस्टर्ड वयनामा गैरसायल सं0 1 को नकद जरे वय देकर खरीद किया है तथा वाद खरीद से ही उक्त आराजी पर सायल काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन वयनामा के आधार पर अभी सायल के नाम इन्तकाल स्वीकार नहीं हुआ है। गैरसायलान आपस में मिलकर सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः विद्वान अधिवक्ता सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया है। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपनी ओर से किसी तरह का उज्र एतराज अथवा जवाव पेश नहीं किया है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है तथा छाया प्रति वयनामा से सावित है कि गैरसायला सं0 1 ने विवादित आराजी का 44/225 हिस्सा सायल से जरे वय लेकर वयनामा रजिस्टर्ड करा दिया है तथा वयनामा के अनुसार सायल को कब्जा करा दिया है। वयनामा के आधार पर अभी इन्तकाल स्वीकार नहीं हुआ है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत जमाबन्दी व वयनामा की छाया प्रति से विवादित आराजी का 44/255 हिस्सा गैरसायला सं0 1 ने सायल को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कराया है तथा कब्जा करा दिया है लेकिन अभी इन्तकाल नहीं खुला है। राजस्व रिकार्ड में अभी विवादित आराजी गैरसायला सं0 1 के ही नाम दर्ज रहने से गैरसायला विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय कर सकती है। सायला का

उपखण्ड अधिकारी

विवादित आराजी पर प्रथम दृष्टा कब्जा सावित होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में सावित है। अतः प्रथम दृष्टा केस का विन्दु सायल के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलनः—विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायला सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है जवकि गैरसायला सं0 1 ने विवादित आराजी का 44/255 हिस्सा सायल को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वेचान कर कब्जा करा दिया है यदि यदि गैरसायला ने हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को बेचान कर दिया तो सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायला सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है जवकि गैरसायला सं0 1 ने विवादित आराजी का 44/255 हिस्सा सायल को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वेचान कर कब्जा करा दिया है यदि यदि गैरसायला ने हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को बेचान कर दिया तो सायल को असुविधा होना संभव है। इससे वाद वहुलता भी बढेगी। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायल के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—:आदेशः—

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सुन्लन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को आ0 ख0 न0 आराजी

उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 461, 468 469, 470, 471 ग्राम समूँची तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है तथा पत्रावली पर प्रभावी स्टे आदेश दिनांक 26.07.2018 कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर